राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–10/2017 दायर दिनांकः–04.07.2017

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. जयराम दत्तक पुत्र हाबूडा जाति भांभी निवासी–मानपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

---वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र मंगला जाति भांभी निवासी ग्राम मानपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. गीता पुत्री मंगला भांभी पत्नी रतनाराम भांभी हाल निवासी ऊजोली तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0।
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ।
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
5. मोहन पुत्र पूसा भांभी निवासी ग्राम मानपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान (फौत)।
   - 5/1. जड़ाव पत्नी मोहन (फौत होने से डिलीट)
   - 5/2. पप्पू पुत्र मोहन
   - 5/3. रामचन्द्र पुत्र मोहन

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांकः–22.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मानपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में ख0न0 150 रकबा 24–16 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 3/5 हिस्सा है व वादी 3/5 हिस्से का सहखातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपरोक्त हिस्से अनुसार सहखातेदार है। प्रतिवादी संख्या 5 भी 1/5 हिस्से का सहखातेदार है। वादग्रस्त भूमि ख0न0 150 रकबा 24–16 बीघा भूमि का विभाजन नहीं हो रखा है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 की विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की है। वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है। दिनांक 17–06–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने 1/10 हिस्से से ज्यादा वादी के 3/5 हिस्से में घुसकर जबरन ट्रेक्टर से काश्त करने की धमकी दी तथा अब भी प्रतिवादी संख्या 1 वादी के 3/5 हिस्से की भूमि में घुसने को प्रयत्नशील है। इस कारण वादी ने भू–विभाजन का व प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 उक्त आराजी में सहखातेदार होने से व भू–विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसको वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रूप में संयोजित किया गया है। भू–विभाजन के वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से उसको प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया गया है। वादी का वादग्रस्त आराजी का 3/5 हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ के यहां रहन होने से उसको प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संयोजित किया गया है। वाद कारण दिनांक 17.06.2017 को जिस रोज प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने 1/10 हिस्से की भूमि में घुसने व जबरन काश्त करने की धमकी दी उस रोज पैदा हुआ, वह दिन–प्रतिदिन हो रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु हो[illegible] वारिसान के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

अज्ञात सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार रूपनगढ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम मानपुरा की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 37 में ख0न0 150 रकबा 24-16 बीघा पर नन्दाराम पुत्र मंगला, गीता पुत्री मंगला हि0 1/5, मोहन पुत्र पूसा हि0 1/5, जयराम दत्तक पुत्र हापूडा हि0 3/5 कौम बलाई सा0 देह खातेदार दर्ज है।

प्रकरण मे ग्राम मानपुरा के ख0न0 150 रकबा 24-16 बीघा भूमि की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का BY MEETS AND BOUNDS आधार पर विभाजन किया जाकर अलग-अलग ख0न0, रकबा, लगान कायम कर प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिकी व निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार रुपनगढ को लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार रुपनगढ द्वारा कमिश्नरी रिपोर्ट बनाकर पेश की गई। इसी दरम्यान वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 (2) पेश किया, जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 (2) स्वीकारोपरान्त प्रतिवादी संख्या 5 मोहन का स्वर्गवास होने से इनके स्थान पर 5/1 जड़ाव पत्नि मोहन, 5/2 पप्पु पुत्र मोहन, 5/3 रामचन्द्र पुत्र मोहन का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। जिसमें से 5/1 जड़ाव पत्नि मोहन का स्वर्गवास होने से उनका नाम डिलीट (हटाने) करने के आदेश दिये गये।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तद्नुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म
1	नन्दा पुत्र मंगला हि0 1/2 गीता पुत्री मंगला जाति बलाई सा0देह खातेदार	150/1	0.8026 है0	बा-2 0.7022 गै0मु0 पहाड़ 0.1004
2	पप्पू पुत्र मोहन हि0 1/2, रामचन्द्र पुत्र मोहन हि0 1/2 जाति बलाई राहिन ICICI बैंक शाखा किशनगढ	150/2	0.8025 है0	बा-2 0.7022 गै0मु0 पहाड़ 0.1003
3	जयराम दत्तक पुत्र हापूडा जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ	150/3	2.4075 है0	बा-2 2.1066 गै0मु0 पहाड़ 0.3009

तद्नुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।
निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:05 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 10 / 2017

1. जयराम दत्तक पुत्र हाबूडा जाति भांभी निवासी–मानपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

----वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र मंगला जाति भांभी निवासी ग्राम मानपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. गीता पुत्री मंगला भांभी पत्नी रतनाराम भांभी हाल निवासी ऊजोली तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0।
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ।
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
5. मोहन पुत्र पूसा भांभी निवासी ग्राम मानपुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान (फौत)।

5/1 जडाव पत्नी मोहन (फौत होने से डिलीट)

5/2 पप्पू पुत्र मोहन

5/3 रामचन्द्र पुत्र मोहन

----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म
1	नन्दा पुत्र मंगला हि0 1/2 गीता पुत्री मंगला जाति बलाई सा0देह खातेदार	150/1	0.8026 है0	बा–2 0.7022 गै0मु0 पहाड 0.1004
2	पप्पू पुत्र मोहन हि0 1/2, रामचन्द्र पुत्र मोहन हि0 1/2 जाति बलाई राहिन ICICI बैंक शाखा किशनगढ	150/2	0.8025 है0	बा–2 0.7022 गै0मु0 पहाड 0.1003
3	जयराम दत्तक पुत्र हापूडा जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	150/3	2.4075 है0	बा–2 2.1066 गै0मु0 पहाड 0.3009

अराप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.09.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)